

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/ए0टी/प02/15/ 318

दिनांक:- 6/05/15

—: संशोधित आदेश —:

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 178 दिनांक 30/03/15 के क्रम सं0 04 पर अंकित डा0 हितेश कुमार व0चि0अ0 राजकीय चिकित्सालय सिरहड्योडी, जयपुर से सामु0स्व0केन्द्र अमरसर, जयपुर में कार्यव्यवस्था के तहत लगाया गया में आंशिक संशोधित कर जे0के0लॉन, जयपुर में अग्रिम आदेशों तक कार्यव्यवस्था के तहत लगाया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक/नियन्त्रण अधिकारी जे0के0लॉन जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त चिकित्सक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करावे।
8. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित नियन्त्रण अधिकारी को प्रस्तुत करे।
9. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
10. संबंधित चिकित्सक
11. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

0141-2225291

[adldirgaz@gmail.com](mailto:adldirgaz@gmail.com)

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं